

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/निजी चिकि./2011-12/3454

दिनांक : 27/1/12

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों के द्वारा कुल बिल पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष नम्बर
1	गुप्ता चाइल्ड एण्ड डेन्टल क्लिनिक, 93-एस-11, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर।	0141- 2762167
2	टीथ केयर एण्ड ऑर्थोडेंटिक सेन्टर, 1/251, विष्णु मार्ग, एसएफएस, अग्रवाल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।	0141- 2397983
3	रेटिना केयर फाउण्डेशन एण्ड आई क्लिनिक, डी-7, सामुदायिक केन्द्र के सामने, देव नगर, टोंक रोड़, जयपुर।	0141- 27405544
4	एडवान्स न्यूरोलॉजी एण्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, "ब्रेन टॉवर", डी-358, मालवीय नगर, नियर गौरव टॉवर, जयपुर।	0141- 2724258
5	नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल, सेक्टर-28, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।	0141- 5192940
6	डेन्टल लॉन्ज, तिवारी बिल्डिंग, निरोज के सामने, एमआई रोड़, जयपुर।	0141- 2369811

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

Sd/-
सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-, राजस्थान आवासन मण्डल,
6. संबंधित हॉस्पिटल
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)रा0आ0म0 जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

Sd/-
सचिव 27/1/12